विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में निम्नलिखित अध्याय है:

अध्याय-I : प्रस्तावना

अध्याय-II :
- (i) उच्च स्तरीय कैंसर संस्थान के निर्माण (ii) डिस्कॉम्स द्वारा परिवर्तकों के क्रय एवं प्रबंधन, की लेखापरीक्षा;
- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बंधित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण

अध्याय-III : विभागों एवं इकाइयों (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अतिरिक्त) से सम्बंधित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण

इस प्रतिवेदन में सम्मिलित लेखापरीक्षा परिणामों का कुल वित्तीय प्रभाव ₹ 418.13 करोड़ है।

अध्याय-I: प्रस्तावना

इस प्रतिवेदन में उत्तर प्रदेश सरकार के 16 विभागों तथा उनके अन्तर्गत आने वाले 52 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) एवं 19 अन्य इकाइयों (स्वायत्त निकाय/प्राधिकरण आदि), जो कि महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), उत्तर प्रदेश, के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, की लेखापरीक्षा सम्मिलित है। वर्ष 2019–20 के दौरान, उत्तर प्रदेश सरकार के 13 विभागों के अन्तर्गत कुल 2,227 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों में से 358 इकाइयों की अनुपालन लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी। इस प्रतिवेदन में 'उच्च स्तरीय कैंसर संस्थान के निर्माण' तथा 'डिस्कॉम्स द्वारा परिवर्तकों के क्रय एवं प्रबंधन' की लेखापरीक्षा के परिणाम और पाँच विभागों[1] एवं पीएसयू/प्राधिकरणों से सम्बंधित 12 अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तर सम्मिलित है।

लेखापरीक्षा के दृष्टान्त पर वसूलियाँ

लेखापरीक्षा के दौरान विभिन्न विभागों/इकाइयों में सात प्रकरणों में इंगित की गयी ₹ 197.17 करोड़ की वसूली सम्बंधित विभाग/इकाइयों द्वारा स्वीकार की गयी थी। इसके विरुद्ध, छः प्रकरणों में ₹ 26.73 करोड़ की वसूली सम्पन्न की गयी।

अध्याय-II: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बंधित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण

'उच्च स्तरीय कैंसर संस्थान के निर्माण' की लेखापरीक्षा

राज्य में गुणवत्तापूर्ण और वहन करने योग्य कैंसर रोग देखभाल की कमी को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) ने कैंसर प्रबंधन एवं कैंसर सम्बंधी अनुसंधान कार्य एवं शिक्षा के लिए एक ही छत के नीचे व्यापक सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक उच्च स्तरीय कैंसर संस्थान (कैंसर संस्थान), मेडिसिटी, चक गंजरिया फार्म, लखनऊ में बनाने का निर्णय लिया (जून 2013)।

चिकित्सा शिक्षा विभाग, जीओयूपी ने ₹ 854.51 करोड़ की लागत पर कैंसर संस्थान के निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की (फरवरी 2015)। उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड (यूपीआरएनएन) को परियोजना हेतु निष्पादन एजेंसी के रूप में नामित किया गया था। यूपीआरएनएन ने एक निर्माण एजेंसी को ₹ 796.76 करोड़ की लागत पर कार्य प्रदान किया (सितम्बर 2015)। इसने स्वीकृत परियोजना लागत के 1.5 प्रतिशत के शुल्क पर एक आर्किटेक्ट और वास्तविक परियोजना लागत के 1.5 प्रतिशत के शुल्क पर एक सलाहकार को भी नियुक्त किया।

---

[1] लोक निर्माण विभाग; परिवहन विभाग; ऊर्जा विभाग; पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग और अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग।

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणाम निम्न है:

- बाजार से प्रतिस्पर्धी दरों को प्राप्त किये बिना दरों को अपनाने और गलत दरों को अपनाने के कारण परियोजना की प्राक्कलित लागत ₹ 75.91 करोड़ से बढ़ा दी गयी थी। चूँकि निविदाओं को इस तरह से बढ़े हुए प्राक्कलन के विरूद्ध बेंचमार्क किया गया था और दरों का औचित्य विवरण भी तैयार नहीं किया गया था, परिणामस्वरूप ₹ 64.60 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ जब वास्तविक क्रय लागत या सही/उचित दरों से तुलना की गयी।

(प्रस्तर 2.1.3)

- कार्य दिये जाने के पश्चात एम–25 और एम–30 ग्रेड कंक्रीट की विभिन्न मदों के लिए भुगतान की जाने वाली दरों के अनियमित प्रतिस्थापन के परिणामस्वरूप निर्माण एजेंसी को ₹ 4.02 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

(प्रस्तर 2.1.4)

- यूपीआरएनएन, ने अनुबंध के प्रावधानों के विपरीत परियोजना प्रबंधन सलाहकार पर किये गए व्यय के विरूद्ध निर्माण एजेंसी के बिलों से कोई धनराशि की वसूली नहीं की थी परिणामस्वरूप निर्माण एजेंसी को ₹ 3.25 करोड़ का अधिक भुगतान किया।

(प्रस्तर 2.1.5)

- यूपीआरएनएन ने आर्किटेक्ट के शुल्क की गणना के उद्देश्य से सरकार द्वारा स्वीकृत परियोजना लागत में से क्रय किये गए मदों की लागत को नही घटाया, परिणामस्वरूप आर्किटेक्ट को ₹ 1.49 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया।

(प्रस्तर 2.1.7)

- विद्युत मांग का केडब्ल्यू से केवीए में परिवर्तन हेतु गलत पॉवर फैक्टर के प्रयोग के कारण, एक परिवर्तक, दो डीजी सेट और दो वोल्टेज स्टेबलाइजर्स को आवश्यकता से अधिक अभिप्राप्त किया गया जिसके परिणामस्वरूप यूपीआरएनएन द्वारा ₹ 2.30 करोड़ का परिहार्य व्यय किया गया।

(प्रस्तर 2.1.11)

- यूपीआरएनएन ने 2015–2021 की अवधि के दौरान सरकारी निधियों पर ₹ 36.68 करोड़ का ब्याज अर्जित किया लेकिन उसे कोषागार में जमा नहीं किया गया।

(प्रस्तर 2.1.14)

- यूपीआरएनएन ने मोबिलाइजेशन अग्रिम पर ब्याज के रूप में निर्माण एजेंसी से ₹ 13.69 करोड़ की वसूली की थी फिर भी धनराशि को सरकारी खाते में क्रेडिट नहीं किया गया।

(प्रस्तर 2.1.15)

लेखापरीक्षा प्रस्तर

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म के सृजन एवं रख रखाव का कार्य सौंपते समय ई–निविदा सम्बंधी उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशों के साथ–साथ अपने स्वयं के आदेशों का भी उल्लंघन किया।

(प्रस्तर 2.2)

उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड ने निविदा मूल्य में जीएसटी को शामिल किये बिना ही निविदा प्रक्रिया में भाग लिया जिसके कारण एनएचएआई द्वारा जीएसटी दावे की प्रतिपूर्ति से मना किया गया और परिणामस्वरुप कम्पनी को ₹ 41.99 करोड़ की हानि हुयी।

(प्रस्तर 2.3)

नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन प्रोग्राम का समय पर कार्यान्वयन में विफलता ने **उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम** को टोल टैक्स के भुगतान पर ₹ 14.18 करोड़ के कैशबैक से वंचित कर दिया और इसी सीमा तक परिहार्य हानि हुयी।

(प्रस्तर 2.4)

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने आईटीएमएस की एक परियोजना के कार्यान्वयन में अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करते हुए एक निजी फर्म को ₹ 69.84 करोड़ का गैर–अनुमन्य और अधिक भुगतान किया।

(प्रस्तर 2.5)

'डिस्कॉम्स द्वारा परिवर्तकों के क्रय एवं प्रबंधन' की लेखापरीक्षा

राज्य के लोगों को विद्युत की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए डिस्कॉम्स द्वारा एक सुदृढ़ वितरण नेटवर्क बनाए रखना आवश्यक होता है। परिवर्तक, एक स्थैतिक उपकरण के रूप में विद्युत के उत्पादन, पारेषण और वितरण में वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा विद्युत वितरण नेटवर्क को प्रभावी बनाने हेतु उपयोग किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण उपकरण हैं।

वर्तमान लेखापरीक्षा चार डिस्कॉम्स के सम्बंध में सम्पादित की गयी थी जिससे मूल्यांकन किया जा सके कि क्या वितरण परिवर्तकों (डीटी) का क्रय मितव्ययी, कुशल एवं प्रभावी था; परिवर्तकों की गुणवत्ता सुनिश्चित की गयी थी; और क्षतिग्रस्त परिवर्तकों से सामग्री की वापसी मानदण्डों के अनुरूप थी।

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणाम निम्न हैः

परिवर्तकों का क्रय

पूर्व–अर्हता शर्तों को पूर्ण नहीं करने वाली फर्मों से अनुबंध करना

- निविदा के भाग–II (वित्तीय) को खोलने के लिए, निविदादाताओं को प्रस्तावित उपकरणों का टाइप टेस्ट रिपोर्ट एवं बीआईएस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य था। 2016–17 से 2018–19 की अवधि के दौरान, 48 चयनित निविदाओं में से छः में, डिस्कॉम्स ने न केवल उन फर्मों की वित्तीय निविदा खोली, जो टाइप टेस्ट रिपोर्ट एवं बीआईएस प्रमाण पत्र की अनिवार्य पूर्व–अर्हता मानदण्डों को पूर्ण नहीं करती थी बल्कि इन फर्मों से ₹ 44.65 करोड मूल्य के परिवर्तकों की आपूर्ति के लिए अनुबंध भी किया।

(प्रस्तर 2.6.3.1)

प्राइस फॉल बैक क्लॉज को लागू करने में विफलता के कारण हानि

- अनुबंध के 'प्राइस फॉल बैक' क्लॉज का लाभ प्राप्त करने के लिए, डिस्कॉम्स को उसी विशिष्टिकरण के परिवर्तकों के अनुगामी निविदाओं के दरों (यदि कम हो) पर विद्यमान निविदादाताओं को उसके निविदा की शेष मात्रा को आपूर्ति करने हेतु क्लॉज को कार्यान्वित कराना चाहिए। हालाँकि, डिस्कॉम्स ऐसा करने में विफल रहा जिसके कारण ₹ 1.37 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(प्रस्तर 2.6.3.2)

परिवर्तकों की गुणवत्ता गारंटी

गुणवत्ता परीक्षण में नमूना विफल होने के पश्चात भी परिवर्तकों के क्रय के कारण पूवीवीएनएल द्वारा एक फर्म को अनुचित लाभ

- गुणवत्ता परीक्षण में नमूने की विफलता के लिए एक फर्म को प्रतिबंधित करने के पश्चात, पूवीवीएनएल ने निविदा की शर्त के उल्लंघन में फर्म से ₹ 11.19 करोड़ मूल्य के 25 केवीए के 2,429 परिवर्तकों की आपूर्ति प्राप्त की।

(प्रस्तर 2.6.4.2)

परिवर्तकों की मरम्मत

वितरण परिवर्तकों की उच्च विफलता दर

- डिस्कॉम्स–एमवीवीएनएल, पूवीवीएनएल, डीवीवीएनएल एवं पीवीवीएनएल द्वारा स्थापित वितरण परिवर्तकों की वास्तविक विफलता दर वर्ष 2018–19 में क्रमशः 20.27 प्रतिशत, 16.14 प्रतिशत, 13.92 प्रतिशत एवं 13.28 प्रतिशत थी जो दो प्रतिशत के मानक से अत्यधिक था।

(प्रस्तर 2.6.5.1)

एचवी/एलवी कॉयल की कम प्राप्ति

- मानक के अनुसार, अप्रैल 2016 से मार्च 2019 के दौरान 4,92,246 क्षतिग्रस्त परिवर्तकों से 35,85,467 किलोग्राम कॉपर एवं 1,58,85,070 किलोग्राम एल्यूमीनियम की प्राप्ति होनी थी। हालाँकि, डिस्कॉम्स केवल 35,13,237 किलोग्राम कॉपर एवं 1,52,65,573 किलोग्राम एल्यूमीनियम की प्राप्ति कर सका। इस प्रकार, 72,230 किग्रा कॉपर एवं 6,19,497 किग्रा एल्युमीनियम की कम प्राप्ति हुयी जिसके परिणामस्वरूप डिस्कॉम्स को ₹ 8.22 करोड़ की हानि हुयी।

(प्रस्तर 2.6.5.2)

जले/क्षतिग्रस्त परिवर्तक से तेल की कम प्राप्ति

- मानक के अनुसार, अप्रैल 2016 से मार्च 2019 के दौरान 4,94,119 क्षतिग्रस्त परिवर्तकों से 3,07,64,913 लीटर जले हुए परिवर्तक तेल की प्राप्ति होनी थी। हालाँकि डिस्कॉम्स केवल 2,72,91,024 लीटर जले हुए परिवर्तक तेल की प्राप्ति कर सका। इस प्रकार, 34,73,889 लीटर जले हुए परिवर्तक तेल की कम प्राप्ति हुयी परिणामस्वरूप, डिस्कॉम्स को ₹ 10.42 करोड़ की हानि हुयी।

(प्रस्तर 2.6.5.3)

लेखापरीक्षा प्रस्तर

दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजी (टोरेंट पॉवर लिमिटेड) से रेगुलेटरी सरचार्ज ₹ 79.90 करोड़ की कम वसूली की एवं कम वसूल की गयी धनराशि पर ₹ 29.97 करोड़ के ब्याज की हानि भी वहन की।

(प्रस्तर 2.7)

डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स के विस्तारित आपूर्ति अवधि के लिए सही मूल्य विचलन का निर्धारण करने में **दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड** की विफलता के कारण आपूर्तिकर्ताओं को ₹ 2.03 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

(प्रस्तर 2.8)

दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा शीट मोल्डिंग कम्पाउंड (एसएमसी) बॉक्सों की आवश्यकता से अधिक आंकलन के कारण ₹ 7.86 करोड़ मूल्य का औचित्यहीन क्रय किया गया, साथ ही ₹ 2.12 करोड़ की ब्याज की परिणामी हानि हुयी।

(प्रस्तर 2.9)

मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा आवश्यकता के आंकलन में स्वेच्छाचारिता के कारण ₹ 7.25 करोड़ मूल्य के ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन बॉक्सों का औचित्यहीन क्रय हुआ जो चार वर्षों से अधिक समय के लिए अनुपयोगी रहा।

(प्रस्तर 2.10)

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा कर योग्य लाभ के गलत अनुमान के कारण ₹ 6.41 करोड़ के ब्याज का परिहार्य भुगतान के साथ कम्पनी को उसी सीमा तक आनुषंगिक हानि हुआ।

(प्रस्तर 2.11)

अध्याय-III: विभागों एवं इकाइयों (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अतिरिक्त) से सम्बंधित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण

वन प्रभागों ने ₹ 1.37 करोड़ का कपटपूर्ण भुगतान किया जिसमें विभिन्न कार्यों में शामिल 1,058 भुगतान वाउचरों में वाहनों की गलत पंजीकरण संख्या का उल्लेख किया गया था जिनके माध्यम से कार्यों को निष्पादित करने का दावा किया गया था।

(प्रस्तर 3.1)

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने कन्नौज जिले में भूमि के क्रय हेतु स्वीकृत भूमि दरों से अधिक दरों पर विक्रय विलेखों के निष्पादन के कारण ₹ 3.65 करोड़ का अधिक भुगतान किया।

(प्रस्तर 3.2)

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने अभिलेखों में उपलब्ध वास्तविक क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल के लिए ₹ 2.71 करोड़ का भुगतान किया।

(प्रस्तर 3.3)